न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा जिला राजसमंद

(पिठासीन अधिकारी, दिवांशु शर्मा आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः– 02 / 2019 (अपील)
दायर दिनांकः– 25 / 01 / 2019
निणर्य दिनांकः– 26 / 02 / 2020

अनवान

1. उदीबाई पुत्री किशनलाल पत्नि शंकरलाल जाति सुथार निवासी सोनियाणा तह0 रेलमगरा हाल मुकाम गणेशपुरा तह0 रेलमगरा जिला राजसमंद

अपीलांट

बनाम

1. शंकरलाल पिता स्व0 किशनलाल जाति सुथार निवासी सोनियाणा तह0 रेलमगरा
2. रतनलाल पिता स्व0 किशनलाल जाति सुथार निवासी सोनियाणा तह0 रेलमगरा
3. रामीबाई बेवा स्व0 किशनलाल जाति सुथार निवासी सोनियाणा तह0 रेलमगरा
4. ग्राम पंचायत पछमता जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पछमता तह0 रेलमगरा

रेस्पोडेण्टगण

अपील विरूद्व नामान्तरण संख्या 590 निर्णय दिनांक 10 / 12 / 2009

: : निर्णय : :

उक्त प्रकरण में अपीलाण्ट की ओर से अपील निम्न आधारो पर पेश है कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत पछमता द्वारा पारित नामान्तरण आदेश विधि,न्याय,नियम एवं वाकियाती तथ्यो के विपरित होने से निरस्ती योग्य है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा मृतक किशन लाल पिता डालचन्द सुथार का विरासतीय नामान्तरण बाबत् कार्यवाही करते समय पंचायत कोरम मे यह स्पष्ट जानकारी हाक जानक पर की मृतक किशन की एक पुत्री उदीबाई है जो ससुराल मे रहती है इसके पश्चात् तात्कालिन सरपंच द्वारा जानबुझकर द्वेषतावश अपीलाण्ट का नाम विरासतीय इन्तकाल मे नाम अंकित नही किया जो वैधानिक प्रावधानो का स्पष्ट रूप से उल्लंघन होने से अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामान्तरण आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत पछमता द्वारा विरासतीय नामान्तरण की कार्यवाही मे अपीलाण्ट को किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर नही देते हुये मन मकसुद तरीके से नामान्तरण आदेश पारित कर दिय जो विधि एवं तथ्यो के

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

विपरित होने से निरस्ती योग्य है अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाण्ट के पिता के विरासत की कार्यवाही के दौरान यह स्पष्ट जानकारी हो चुकी थी की मृतक के एक पुत्री है तो विवादित आदेश पारित करने से पुर्व अपीलाण्ट को सुनवायी का अवसर दिया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक था फिर भी अधिनस्थ ग्राम पंचायत पछमता द्वारा मनमकसुद तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 व 03 को अनुचित लाभ पहूंचाने के उद्वेश्य से अपीलाण्ट का नाम इन्तकाल मे अंकित नही किया जो विधि एवं तथ्यो के विपरित होने से निरस्ती योग्य है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा मृतक किशन की विरासतीय रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 व 03 के नाम पर दर्ज कर दी जबकि हिन्दु उत्तराधिकारी नियम मे नवीन संशोधन के अनुसार पुत्र व पुत्रीयो को समान अधिकार प्राप्त होना है जिससे भी अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश निरस्ति योग्य है। अपीलाण्ट ने अपनी निजी जानकारी के लिये खाते की नकल निकलवायी तो पता चला की अपीलाण्ट का नाम इन्तकाल से हटा दिया है इसके पश्चात् अपीलाण्ट ने नकल निकलवाकर जानकारी कर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील बिना किसी देरी के श्रीमान के समक्ष पेश है फिर भी कानुनी अडचनो से बचने के लिये धारा 05 कानुन मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र के अलग से पेश है।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर कि जाकर रेस्पोडेन्टगण का जरिये सम्मन तलब किये गये रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02, व 04 द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से जवाब का अवसर बन्द किया गया । रेस्पोडेन्ट संख्या 03 बावजुद सुचना के अनुपस्थित रहने से पत्रावली पर एक तरफा कार्यवाही की गयी । उभय पक्ष की बहस सुनी गई पत्रावली एवं उपल्बध रिकोर्ड का अवलोकन किया गया ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम सोनियाणा के नामान्तरण संख्या 590 दिनांक 10.12.2009 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार रेलमगरा को प्रतिप्रेषित कि जाकर निर्देश दिये जाते है कि पक्षकारान को सुन स्व. किशनलाल पिता डालचन्द्र सुथार के विधिक वारिसान कि जांच कर नये सिरे से नामान्तरण की कार्यवाही की जावे । पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 26/02/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
रेलमगरा
(उपखण्ड अधिकारी)